दिनाँक	**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर** **भगवती प्रसाद बनाम अजमेर जलदाय कर्मचारी बचत समिति** **दीवानी इजराय सं. 23/2025** **सी आई एस स. 23/2025**	अनुपालना टिप्पणी
27-02-2026	अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। आपत्तिकर्ता गोपाल बंसल मय अधिवक्ता उपस्थित, आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुना गया । दौराने बहस अधिवक्ता आपत्तिकर्ता की ओर से निवेदन किया गया कि डिक्रीदार द्वारा मदयुन समिति में आपत्तिकर्ता को अध्यक्ष/सचिव दर्शित करते हुये उक्त इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि आपत्तिकर्ता दिनांक 31-10-2018 को ही सेवानिवृत्त हो चुका है, अतः वह समिति के कार्यों के प्रति दायी नहीं है। जिस पर अधिवक्ता डिक्रीदार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर आपत्तिकर्ता के कथनों की पुष्टि करते हुये वर्तमान में मदयुन समिति में प्रशासक नियुक्त होकर प्रशासक के नाम से वारण्ट जारी करने का निवेदन किया गया। चूंकि स्वयं डिक्रीदार द्वारा आपत्तिकर्ता गोपाल बंसल को समिति का पदाधिकारी वर्तमान में नहीं होकर, प्रशासक नियुक्त होना स्वीकार किया गया है। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति इस आदेश के साथ स्वीकार की जाती है कि आपत्तिकर्ता का नाम हजफ करके मदयुन की ओर से प्रशासक का नाम रिकॉर्ड पर लिखा जावे । अधिवक्ता डिक्रीदार संशोधित शीर्षक पेश करे, आदेशानुसार संशोधित शीर्षक पेश किया गया। मदयुन के विरूद्ध तलवाना नोटिस पेश करने पर कुर्की वारण्ट जारी हो पत्रावली वास्ते देखने पालना हेतु दिनांक 16-03-26 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर जिला न्यायाधीश संख्या-3,** **अजमेर** IMRAN Digitally signed by IMRAN Date: 2026.02.27 15:13:49 +0530	

Authenticated document